



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 9, शुक्रवार, शाके 1940-अगस्त 31, 2018
Bhadra 9, Friday, Saka 1940- August 31, 2018

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रपत्र-9

(धारा -19 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत घोषणा और सार)

(नियम 21 के उपनियम -(1) देखें)

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 27, 2018

संख्या एफ.2(2)/पी.डब्ल्यू/एस/2017/डी-49 -चूंकि राजस्थान सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची की सम्बद्ध सारणी के कॉलम (1)से (5) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक परियोजन के लिए ग्राम झालावाड व मुण्डेरी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुँचमार्ग मुण्डेरी कार्य के लिए आवश्यक है।

अतः एतद द्वारा घोषणा की जाती है कि मानक माप के अनुसार 0.9484 है० भूमि के खण्डों उपरोक्त परियोजना के लिए ग्राम मुण्डेरी तहसील असनावर एवं ग्राम झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अधिग्रहण किया जाना है, जिसका विस्तार से विवरण संलग्न अनुसूची के अनुसार है-

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की अनुसूची के सम्बद्ध सारणी (सार-संक्षेप)

जिला	तहसील	ग्राम /नगर	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (मानक-माप) है० में
झालावाड	असनावर	मुण्डेरी	कुल खसरा -5(सलग्न सूची)	0.6576
		झालावाड	कुल खसरा -3 (सलग्न सूची)	0.2908
योग	2	2	8	0.9484

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 (अधिनियम सं 30/2013) में उचित, क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 15 के प्रावधानों के तहत हितबद्ध व्यक्तियों/खातेदारों से उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबध में प्राप्त आपत्तियों को सुनने एवं बाद जाँच उनके निस्तारण कर एवं सरकार द्वारा अनुमोदित करने के उपरान्त की गई है।

भू अर्जन के कारण पुनर्वास होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।

कोयला लोह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खदानों के होने की स्थिति में उपरोक्त भूमि के किसी विशेष हिस्से जिनकी खानों और खनिज जिनका खोदा जाना आवश्यक हो सकता है के ऐसे भागों को छोड़कर/निकाल कर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी भूमि का ही अधिग्रहण किया जा रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण/अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झालावाड जिला झालावाड के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है।

प्रस्तावित भू-अर्जन किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

अथवा

उक्त परियोजना के लिए पुनर्वास योजना प्रभाव शून्य होने से प्रस्तावित भू -अर्जन से प्रभावित किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों का पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। परियोजना रिपोर्ट का अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी) झालावाड जिला झालावाड के कार्यालय में किया जा सकता है।

संलग्न - सम्बद्ध अनुसूची

स्थान- झालावाड

दिनांक :

एम.सी.भाटी,
उपसचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान जयपुर।

भाग 1 (ख)
A summary
Encl: As per
Place

FROM-9

(See sub rule-(1) of rule 21)

Declaration by District Collector

Jaipur, August 27, 2018

No.F.2(2) PW AS 2017 D-49 .-Whereas it appears to the Government that a total of 0.9484 Hec. land is deemed in the Munderi Teh. Asnawar & Jhalawar Teh. Jhalrapatan Distt. for public purpose namely उच्च स्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग मुण्डेरी Therefore declaration is made that a piece of land measuring 0.9484 Hec. of standard measurement under acquisition for the above said project in the Village Munderi Teh. Asnawar & Jhalawar Teh. Jhalrapatan Distt. Jhalawar for public purpose, namely.

Therefore declaration is made that a piece of land measuring 0.9484 Hec. of standard measurement under acquisition for the above said project in the Village Munderi Teh. Asnawar & Jhalawar Teh. Jhalrapatan Distt. Jhalawar whose detailed description is as following.

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खसत नम्बर	मालिक का नाम	भूमि का प्रकार	अधिकृत भूमि का क्षेत्रफल (हि.)	विशेषता का नाम व पता	कृषि		परिसम्पत्ति		चतुर्थ सीमा				दि.दि.
							प्रकार	सख्या	प्रकार	सख्या	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	मुण्डेरी	207	मि.जी	बागानी दोयम	0.0126	श्री देव जी महादेव मंदिर खातेदार	-	-	-	-	207	214	206	209	
2	मुण्डेरी	208	मि.जी	बागानी दोयम	0.1516	रामलाल पुत्र कका कोम घोडी निवासी मुण्डेरी	नारंगी	16	-	-	209	214	207	210	
3	मुण्डेरी	210	मि.जी	बागानी दोयम	0.1285	रंगेश पुन्ना पन्ना पुत्र कका रामनथी पुत्री कका जति घोडी निवासी मुण्डेरी	-	-	-	-	210	214	209	213/11	
4	मुण्डेरी	213/4 11	मि.जी	बागानी दोयम	0.1097	मैत्रीलाल रामकल्याण पुत्र रामलाल केसर नन्दु पुत्रीका रामलाल जति घोडी निवासी मुण्डेरी	-	-	-	-	213/ 411	214	210	213/ 412	
5	मुण्डेरी	213/4 12	मि.जी	बागानी दोयम	0.1770	बन्धुलाल प्रहलाल भोदुलाल रामलाल पुत्र दोला दाखनबाई पार्वतीबाई पुत्री दोला मुलाब बाई पति दोला कोम घोडी निवासी मुण्डेरी	-	-	-	-	213/ 412	214	213/ 411	1	
6	झालावाड	557	मि.जी	शे.मु. अबादी	0.0885	नगरपालीक झालावाड (आबादीय भूमि)	-	-	-	-	551	551	1 Mun deri	552	
7	झालावाड	553	मि.जी	शे.मु. अबादी	0.1887	नगरपालीक झालावाड (आबादीय भूमि)	-	-	-	-	553	554	552	554	
8	झालावाड	554	मि.जी	शे.मु. अबादी	0.0126	नगरपालीक झालावाड (आबादीय भूमि)	-	-	-	-	554	552	553	555	
					0.9484	कुल									

This declaration is made after hearing of objections of persons intrested and due enquiry as provided w/s 15 of the Right to fair Compensation and Transparency in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013), The number of families likely to be resettled due to land acquisition is NIL for whom Resettlement area has been identified, whose brief description is as following :-

Village Munderi Teh. Asnawar & Jhalawar Teh. Jhalrapatan Distt. Jhalawa Area 0.9484 (in Hec) Maines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended.

Encl: As above

Place:

Date:

श्रीमान राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,
एम. सी. भाटी,
उप सचिव (वर्क्स),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।